

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 3(1)/2011/कार्मिक/से.नि./प्रमुखसं/पार्ट-V/ 7587-614

दिनांक : 12/2/24

निमित्त

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त/ट्री, राजस्थान, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक, RFBP-2/RFBDP, राजस्थान, जयपुर।
3. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी./अरावली वृक्षारोपण परियोजना, राजस्थान, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर।
5. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।
6. निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर/मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर/निदेशक, परिचालन राजस्थान वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर।
8. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर/(वन्यजीव) जोधपुर/(वन्यजीव) उदयपुर।
9. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर सवाईमाधोपुर/सरिस्का अलवर/मुकन्दरा कोटा
10. मुख्य वन संरक्षक, वनवर्धन, जयपुर/आर.वी.पी, कोटा/एफ.पी.आर.पी, जयपुर।

विषय : मंत्रालयिक संवर्ग एवं निजी सचिव संवर्ग के कर्मचारियों के अधिवार्षिकी आयु (60 वर्ष) पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान सेवा नियम, 1956 के नियम-56 के अनुसार, सरकारी कर्मचारी विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त करने पर, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो जाता है। किसी सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख उस माह के अंतिम दिन के अपराह्न को ही जिसमें वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। यदि सरकारी कर्मचारी जिसकी जन्म की तारीख किसी माह की पहली तारीख है, वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पूर्व माह के अंतिम दिन अपराह्न से सेवानिवृत्त होगा। राजस्थान सरकार के निर्णय में उल्लेखित है कि **प्रशासनिक दृष्टि से, सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश जारी करना उचित होगा।**

प्रायः यह देखने में आया है कि विभाग के मंत्रालयिक संवर्ग एवं निजी सचिव संवर्ग के कर्मचारियों के विरुद्ध सेवानिवृत्त आदेश के संबंध में प्रस्ताव सेवानिवृत्ति दिनांक से कुछ दिन पूर्व ही इस कार्यालय को भिजवाये जा रहे हैं समय पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण सेवानिवृत्ति आदेश जारी करने एवं तदोपरांत सेवानिवृत्ति प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः क्रम संख्या 1 से 4 पर अंकित कार्यालय स्वयं के कार्यालय की एवं क्रम संख्या 5 से 10 पर अंकित कार्यालय स्वयं एवं अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों (उप वन संरक्षक/वन बन्दोबस्त अधिकारी/कार्य आयोजना अधिकारी) की **दिनांक 19.02.2024 व 20.02.2024 को इस कार्यालय में आयोजित बैठक में** निम्नानुसार सूचना भिजवाना सुनिश्चित करावे अन्यथा कार्मिकों के सेवानिवृत्ति प्रकरण में किसी भी प्रकार के विलम्ब/नाम नहीं भिजवाये जाने के लिये संबंधित नियंत्रण अधिकारी उत्तरदायी होंगे :-

1. विभाग के मंत्रालयिक संवर्ग एवं निजी सचिव संवर्ग के वर्ष 2024-25 (जिनकी जन्म तिथि 02 जनवरी 1964 से 01 अप्रैल, 1965) में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव निम्न प्रारूप में **(दसवीं की अंक तालिका एवं सेवापुस्तिका की प्रथम चार पृष्ठ की प्रमाणित छाया प्रति एवं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24.03.2015 में निर्धारित प्रारूप-6 संलग्न कर)** प्रेषित करें।

Signature valid

RajKaj Ref
5554440



Digitally signed by Anil Banerjee
Designation: Principal Chief
Conservator of Forest
Date: 2024.02.12 14:05:20 IST
Reason: Approved

प्रारूप का प्रकार

क्र.स.	कार्यालय का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने की तिथि	विभागीय जांच संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है या अथवा नहीं (प्रारूप-6')
--------	-----------------	-----------------	-------	-----------	---------------------	------------------------------------	---

2. विभाग के मंत्रालयिक संवर्ग एवं निजी सचिव संवर्ग के वर्ष 2024-25 में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पूर्व में यदि इस कार्यालय द्वारा आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं तो उसका विवरण निम्न प्रारूप में दें:-

प्रारूप का प्रकार

क्र.स.	कार्यालय का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने की तिथि	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
--------	-----------------	-----------------	-------	-----------	---------------------	------------------------------------	-------------------------

नाम एवं जन्म दिनांक का सेवापुस्तिका से मिलान करते समय विशेष ध्यान रखा जावे कि कोई वर्तनी संबंधी अशुद्धि न रहे। आप द्वारा प्रेषित की जाने वाली सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

नोट :-

1. मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रेषित करने से पूर्व अपने स्तर पर पूर्ण परीक्षण कर लें। अधीनस्थ कार्यालयों के अनावश्यक पत्र संलग्न नहीं करें।
2. बिन्दु संख्या 1 व 2 में सूचना पदवार बनाई जावे।
3. बिन्दु संख्या 1 को सूचना सॉफ्ट कॉपी में लेकर आवे। सारणी MS. Excel में बनावे। हिन्दी के लिए फोन्ट DevLys 010, साईज 14 व अंग्रेजी के लिए फोन्ट Times New Roman, साईज 14 का प्रयोग करें। अंकों (क्रम संख्या, दिनांक आदि) के लिए अंग्रेजी फोन्ट का प्रयोग करें।

भवदीय,

(अरिजीत बनर्जी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 3(1)/2011/कार्मिक/से.नि./ प्रमुवसं/पार्ट-V/ 7615-18 दिनांक 12/2/24
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक/कार्य आयोजना अधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी/भू-संरक्षण अधिकारी को भेजकर लेख है कि उपर दिये गये निर्देशों के अनुसार सूचना अपने नियंत्रण अधिकारी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करें। पत्र की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित नहीं करें।
2. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।

(बृज मोहन गुप्ता)

उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref
5554440

Digitally signed by Anil Banerjee
Designation: Principal Chief
Conservator of Forests
Date: 2024.02.12 14:05:20 IST
Reason: Approved